प्रेस विज्ञप्ति

23/2/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने 20.02.2026 को पृथ्वी एन राज, केसी थिप्पेस्वामी, मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन खट्टर, मेसर्स पप्पीज़ टूर्स एंड ट्रेवल्स एलएलपी, अर्जुन नागभूषण, अभिजीत सज्जन और मेसर्स लॉजिकफोर्ज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पूरक अभियोग शिकायत दर्ज की, जिसमें केसी वीरेंद्र मुख्य आरोपी हैं।

ईडी ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध हैं। ये एफआईआर किंग567, प्ले567, प्लेविन567, गेमएक्सच और अन्य संबंधित प्लेटफार्मों सहित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता के साथ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और जबरन वसूली से संबंधित हैं। बाद में हुई जांच में विभिन्न भुगतान गेटवे, बिचौलियों के खातों, विदेशी संस्थाओं और आभासी डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से धन के हस्तांतरण के साथ-साथ बाहरी प्रेषण का भी पता चला है। इससे पहले, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक और अन्य राज्यों में 60 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में नकदी, सोने की ईंटें, सोने और चांदी के आभूषण, वाहन, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।

इससे पहले ईडी ने केसी वीरेंद्र को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था और 18.10.2025 को माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु शहर के न्यायालय में केसी वीरेंद्र के खिलाफ अभियोग दायर किया गया था। इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत दिनांक 29.01.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 05/2026 के माध्यम से केसी वीरेंद्र और अन्य आरोपियों की लगभग 177.30 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था। इसके साथ ही, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत इस मामले में 320 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। इसके अलावा, जांच के दौरान अब तक 2,300 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से प्राप्त धनराशि की पहचान की गई है, जो अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों से अर्जित की गई थी और बाद में कई स्तरों के लेनदेन के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

.

आगे की जांच से पता चला है कि उपर्युक्त व्यक्ति/संस्थाएं अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन की मनी लॉन्ड्रिंग में जानबूझकर शामिल थे। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने भारत के बाहर, विशेषकर दुबई में, पहचान के आधार पर संपत्ति अर्जित की थी और क्रिप्टो संपत्तियों में कई लेनदेन भी किए थे।

आगे की जांच जारी है।